

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती, प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व्यक्ति व भूअ.नि...
व्यक्ति की रिपोर्ट तथा तहसीलदार संख्या / नायब
 तहसीलदार व्यक्ति की अनुशसन के आधार पर रा.भू. राजस्व
 अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम व्यक्ति तहसील संख्या
 व जिला व्यक्ति में खता संख्या 2015-2018
73 में वर्तमान में दत्त प्रविष्टि को निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया
 जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश किये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	व्यक्ति	73	व्यक्ति व्यक्ति	व्यक्ति व्यक्ति

व्यक्ति
 उपखण्ड अधिकारी
 खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)
 पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

प्रतिलिपि:- 2021/673

दिनांक:- 3/12/21


क्रमांक:-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
व्यक्ति व्यक्ति
2. प्रार्थी व्यक्ति को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

व्यक्ति
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर


परवारी रिपोर्ट एवं कु.अ.नि. रिपोर्ट

मीजा-लखौडा खालास. 73/2015-18 में खालेदार का नाम धर्मवीर पुत्र काना मीजा
सहस्रनेवारी मुक्ति की रिपोर्ट की सातवां दस्तावेज साध्या काठ एवं कीट आदि की
धरमा पुत्र काना मीजा की अति: उम्मी खाते में खालेदार का नाम
धर्मवीर पुत्र काना मीजा के बजाय धरमा पुत्र काना मीजा लिखा जावा उचित है।


पटवारी मण्डल-
तह. खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)
30/11/21
ICR वडल

तहसीलदार / नाम तहसीलदार

मुलाखिड परवारी व कु.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम
लखौडा की खालास. 73 में खालेदार का नाम धर्मवीर पुत्र काना
के बजाय धरमा पुत्र काना करने की अभिशंका की जाती है।


तहसीलदार-खैरवाड़ा
जिला-उदयपुर

आदेश

तहसीलदार खैरवाड़ा की रिपोर्ट में आधार पर राजस्व ग्राम
लखौडा के खालास. 73 में खालेदार का नाम धर्मवीर पुत्र काना
के बजाय धरमा पुत्र काना करने की स्वीकृति दी जाती है।

उपस्थित अधिकारी
खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)